



2026:AHC:58566

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2009 सन् 2026

शिवा और 2 अन्य

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता

: आशीष सिंह, अश्वनी सिंह

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अश्वनी सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री आशीष कुमार त्रिपाठी के तर्कों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
- वर्तमान आवेदन मामला अपराध संख्या 36 सन् 2025 गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के अन्तर्गत, थाना गभाना, जन्मद अलीगढ़, में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि आवेदक गैंग चार्ट में उनके विरुद्ध अभिलिखित एकमात्र मामले में जमानत पर हैं। आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3492 सन् 2024 में दिनांक 20.03.2024 को पारित आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति, जिसके द्वारा आवेदक-शिवा को न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा नियमित जमानत दी गई, दायर की गई है और इसे अभिलेख में लिया गया है। उपरोक्त के अलावा आवेदकों के विरुद्ध कोई अन्य मामला अभिलिखित नहीं है। यह भी बताया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और अन्वेषण एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वे उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।
- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आवेदक गैंग चार्ट में उनके विरुद्ध अभिलिखित एकमात्र मामले में जमानत पर हैं। उपरोक्त के अलावा आवेदकों के विरुद्ध कोई अन्य मामला अभिलिखित नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की यथार्थ भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदकों की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामला अपराध में संलिप्त आवेदकों-शिव, सत्यम उपनाम नरेंद्र और शेखर प्रताप सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 50,000/- रुपये के निजी बन्धपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आरोपित साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे उसकी/ उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आरोपित विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आरोपित संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा)

18 मार्च, 2026

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"